D:\FCI folder 2013\ICDS FCI 2013 doc201

# राजस्थान सरकार
## निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं,
## 2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकःप.4(1)(309)पोषा./गेहूं/ICDS/2013–14/ 383-415 जयपुर, दिनांक 12/7

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :– गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम (WBNP) के तहत भारत सरकार से प्राप्त गेहूं के उपयोग के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम (WBNP) के तहत राज्य सरकार को रियायती दर पर गेहूं उपलब्ध कराया जाता है। विभाग द्वारा उक्त गेहूं का उपयोग स्वयं सहायता समूहों द्वारा लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार (टेक होम राशन एवं गरम पूरक पोषाहार) के निर्माण में किये जाने पर विचार किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों को गेहूं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए आपके जिले में संचालित स्वयं सहायता समूहों एवं उचित मूल्य की दुकानों की मैपिंग कराया जाना आवश्यक है।

अतः इस सम्बन्ध में आप जिला रसद अधिकारी से सम्पर्क कर जिले में संचालित उचित मूल्य की दुकानों की सूचना प्राप्त कर उससे गेहूं प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों एवं प्रतिमाह आवश्यक गेहूं की मात्रा की परियोजनावार सूचना निम्नलिखित प्रारूप में दिनांक 20.07.2016 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करावें :–

| क.सं. | परियोजना का नाम | उचित मूल्य की दुकान का नाम व पता | स्वयं सहायता समूह का नाम व पता | प्रतिमाह आवश्यक गेहूं की मात्रा किग्रा. में |
|---|---|---|---|---|

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकःप.4(1)(309)पोषा./गेहूं/ICDS/2013–14/ 415-721 जयपुर, दिनांक 12/7

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।

(डॉ. ब्रज भूषण शर्मा)
अति.निदेशक (पोषाहार)